चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ।
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

तत्काल/अति आवश्यक

पत्रांक : पी0ए0//10014
दिनांक : 06.01.2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः–वित्तीय वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2023–2024 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित मास्टर डाटा की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उर्पयुक्त विषयक शासनादेश संख्या–106/2023/4035/26.03.2023/CN.-1741061 दिनांक 18.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमे विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्याः पी0ए0/9734 दिनांक 23.11.2023 एवं पी0ए0/9830 दिनांक 16.12.2023 के द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा सचूना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उक्त के क्रम में आपको पुनः निर्दर्शित किया जाता है कि उपयुर्क्त सुचनाएं सम्बद्धता विभाग से सत्यापित कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक 08.01.2024 की सांय 01:00 बजे तक श्री एस0पी0 सिंह, एस0सी0आर0आई0ई0टी0, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें। यदि पोर्टल पर तकनीकि के कारण यदि कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसके लिए समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराने वाले महाविद्यालय/संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय,

06.01.2024

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव

I/450711/2023

संख्या- 106/2023/4035/26-3-2023/C.N.- 1741061

प्रेषक,

राज कुमार झा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3997/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 15.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराया गया है कि शासनादेश दिनांक 15.09.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों (शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं में केवल सामान्य वर्ग के छात्र) में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

AO
द्वारा NIC/ALL DD/ ALL DSWO व अन्य संबंधित को।
18.12.2023
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

3- उक्त के क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	संशोधित समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की	01 जनवरी 2024 तक